सत्यमेव जयते

लेखे एक नजर में
2013-14

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार

लेखे एक नजर में

2013-2014

प्रधान महालेखाकार
(लेखे एवं हकदारी)
राजस्थान, जयपुर

प्रस्तावना

*'**लेखे एक नजर में**' एक वार्षिक प्रकाशन है जो सरकारी कार्यकलापों का विस्तृत विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, जैसाकि वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में प्रदर्शित किया गया है। सूचना संक्षिप्त स्पष्टीकरण, विवरण व ग्राफ द्वारा दर्शायी गयी है।*

राज्य सरकार के वार्षिक लेखे राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशों के अधीन नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार बनाये और जांचे जाते हैं। वार्षिक लेखे (क) वित्त लेखे एवं (ख) विनियोग लेखे का समावेश हैं। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अन्तर्गत लेखे की विवरणियों का सार है। विनियोग लेखे के अंतर्गत राज्य विधान मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के प्रति अनुदान के अनुसार किये गये व्यय अंकित किये जाते हैं और वास्तविक व्यय तथा निधि व्यवस्था के बीच अन्तर के स्पष्टीकरण का सार अंकित किया जाता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करता है।

प्रकाशन में सुधार के सुझावों से मदद मिलेगी जिसका हमें इन्तजार रहेगा।

सुदर्शना तलापत्रा

(सुदर्शना तलापत्रा)
प्रधान महालेखाकार

स्थान : जयपुर,

दिनांक : फरवरी 13, 2015

विषय सूची

		पृष्ठ
अध्याय 1	**विहंगावलोकन**	
1.1.	प्रस्तावना	1
1.2.	लेखाओं का ढाँचा	1
1.3.	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	3
1.4.	निधियों का स्त्रोत तथा आवेदन	4
1.5.	लेखे की विशिष्टताएं	7
1.6.	अधिशेष तथा घाटा क्या इंगित करते हैं ?	8
अध्याय 2	**प्राप्तियां**	
2.1.	प्रस्तावना	10
2.2.	राजस्व प्राप्तियां	10
2.3.	प्राप्तियों का रूझान	12
2.4.	राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रहण की कार्यशैली	13
2.5.	कर संग्रहण की दक्षता	14
2.6.	गत पाँच वर्षों के दौरान संघ करों के राज्यांश में रूझान	14
2.7.	सहायतार्थ अनुदान	15
2.8.	लोक ऋण	15
अध्याय 3	**व्यय**	
3.1.	प्रस्तावना	16
3.2.	राजस्व व्यय	16
3.3.	पूंजीगत व्यय	18
अध्याय 4	**आयोजना तथा आयोजना भिन्न व्यय**	
4.1.	व्यय का वितरण	20
4.2.	आयोजना भिन्न व्यय	20
4.3.	आयोजना व्यय	21
4.4.	बचनबद्ध व्यय	23
अध्याय 5	**विनियोग लेखे**	
5.1.	विनियोग लेखे का सारांश	24
5.2.	गत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य का रूझान	24
5.3.	महत्वपूर्ण बचत	25
अध्याय 6	**सम्पत्तियां एवं दायित्व**	
6.1.	सम्पत्तियां	27
6.2.	ऋण एवं देयता	27
6.3.	गारन्टियां	28
अध्याय 7	**अन्य मदें**	
7.1.	राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जे तथा अग्रिम	29
7.2.	रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	29
7.3.	स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता	30
7.4.	लेखों का अंक मिलान	30
7.5.	व्यय की प्रचुरता	30
7.6.	कोषालयों द्वारा लेखों की प्रस्तुति	31
7.7.	सारांशीकृत आकस्मिक बिल तथा विस्तृत आकस्मिक बिल	31
7.8.	अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों के लेखे पर वचनबद्धता	32

अध्याय – 1

विहंगावलोकन

1.1. प्रस्तावना

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान द्वारा राजस्थान सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय के लेखों का संकलन किया जाता है । यह संकलन 41 जिला कोषालयों, 250 सार्वजनिक निर्माण खण्डों, 70 वन खण्डों, अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों तथा भारतीय रिजर्व बैंक की समायोजन की सूचना द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक लेखों पर आधारित है। इस संकलन से, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) वार्षिक रूप से वित्त तथा विनियोग लेखे तैयार करता है जिन्हें प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा), राजस्थान द्वारा अंकेक्षित एवं भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित करने के पश्चात् राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

1.2. लेखाओं का ढाँचा

1.2.1. सरकार के लेखे निम्नलिखित तीन भागों में संधारित किये जाते हैं :

भाग I **समेकित निधि**	राजस्व तथा पूंजीगत लेखे पर प्राप्तियां तथा व्यय, लोक ऋण तथा कर्जे एवं अग्रिम।
भाग II **आकस्मिकता निधि**	अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के उद्देश्य से जिनके लिए बजट में प्रावधान नहीं है। इस निधि से किये गये व्यय को बाद में समेकित निधि से पूरित किया जाता है।
भाग III **लोक लेखा**	ऋण, जमा, पेशगियां, प्रेषण एवं उचन्त लेन–देन समाहित हैं। ऋण एवं जमा सरकार के पुनर्भुगतान दायित्वों को दर्शाता है। पेशगियां सरकार की प्राप्त होने योग्य प्राप्तियां होती हैं। प्रेषण तथा उचन्त संव्यवहार समायोजन प्रविष्टियां हैं जो लेखे के अंतिम शीर्ष में इन्द्राज से अन्ततोगत्वा समायोजित होनी आवश्यक है।

1.2.2. लेखों का संकलन

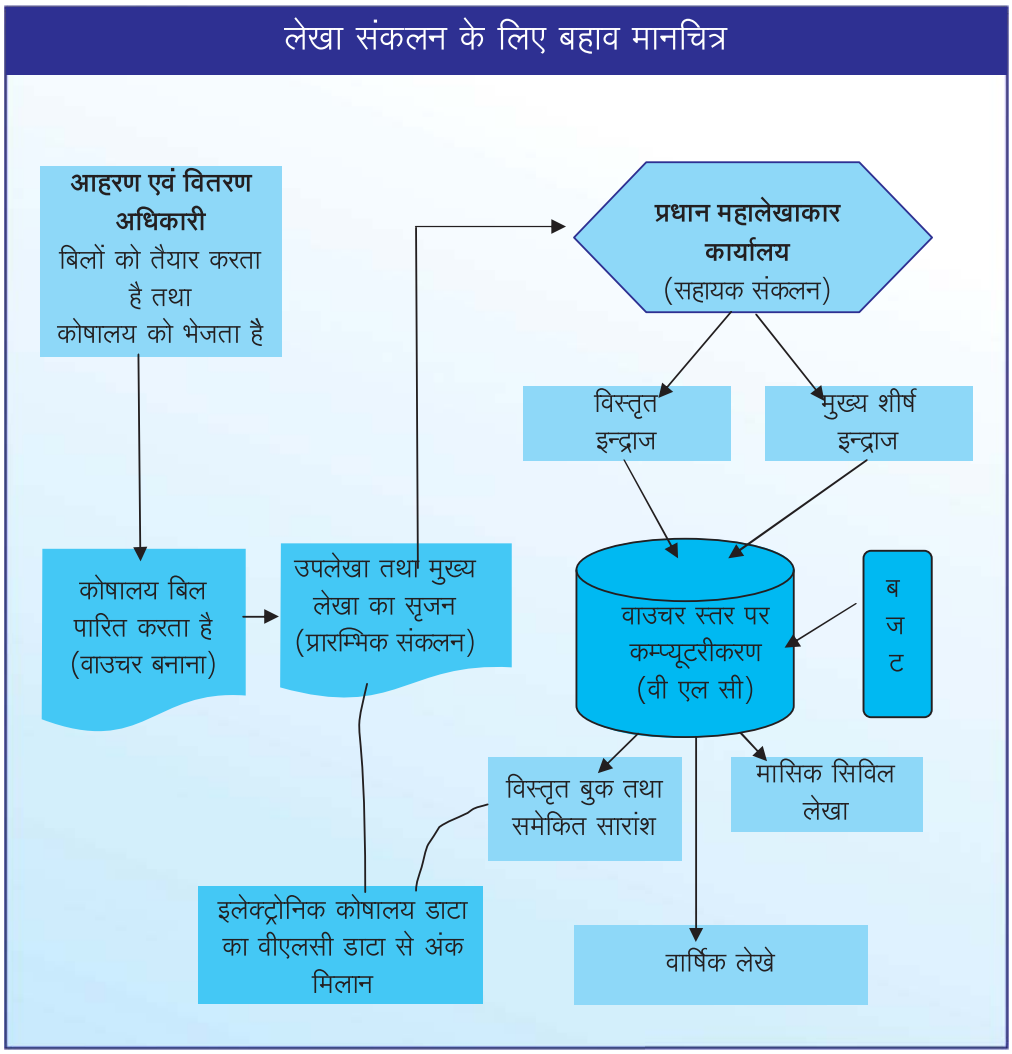
लेखा संकलन के लिए बहाव मानचित्र
आहरण एवं वितरण अधिकारी
बिलों को तैयार करता है तथा कोषालय को भेजता है
प्रधान महालेखाकार कार्यालय
(सहायक संकलन)
विस्तृत इन्द्राज
मुख्य शीर्ष इन्द्राज
कोषालय बिल पारित करता है (वाउचर बनाना)
उपलेखा तथा मुख्य लेखा का सृजन (प्रारम्भिक संकलन)
वाउचर स्तर पर कम्प्यूटरीकरण (वी एल सी)
ब ज ट
विस्तृत बुक तथा समेकित सारांश
मासिक सिविल लेखा
इलेक्ट्रोनिक कोषालय डाटा का वीएलसी डाटा से अंक मिलान
वार्षिक लेखे

1.3. वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

1.3.1. वित्त लेखे

वित्त लेखे वर्ष के लिये सरकार की प्राप्तियों तथा वितरणों, साथ ही लेखों में दर्ज राजस्व तथा पूंजीगत लेखों, लोक ऋण तथा लोक लेखे के शेषों द्वारा वित्तीय परिणाम दर्शाते हैं। वित्त लेखे अधिक व्यापक और सूचनार्थक बनाने हेतु दो खण्डों में तैयार किये जाते हैं । वित्त लेखे के खण्ड–I में भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, समस्त प्राप्तियों एवं भुगतानों के सारांशीकृत विवरण तथा 'लेखाओं से टिप्पणियां' जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, लेखाओं की गुणवत्ता तथा अन्य मदें हैं; खण्ड–II में अन्य सारांशीकृत विवरण (भाग–I), विस्तृत विवरण (भाग–II) तथा परिशिष्ट (भाग–III) समाहित है।

राजस्थान सरकार की प्राप्तियां तथा वितरण, जैसा कि वित्त लेखे 2013–14 में प्रदर्शित है, नीचे दिये गये हैं:–

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां (कुल : 89,986)	राजस्व (कुल : 74,471)	कर राजस्व	52,151
		करेत्तर राजस्व	13,575
		सहायतार्थ अनुदान	8,745
	पूंजीगत (कुल : 15,515)	प्राप्तियां	10
		कर्जे तथा अग्रिम की वसूली	316
		उधार तथा अन्य दायित्व *	15,189
वितरण (कुल: 89,986)	राजस्व		75,510
	पूंजीगत		13,664
	कर्जे तथा अग्रिम		812

* उधार तथा अन्य दायित्व : लोक ऋण का निवल (प्राप्तियां – वितरण) + आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखे का निवल (प्राप्तियां–वितरण) + रोकड़ शेष का निवल (प्रारम्भिक – अंतिम)।

संघ सरकार विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य क्रियान्वयन संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों को प्रचुर मात्रा में निधियां सीधे हस्तान्तरित करती है । इस वर्ष, भारत सरकार ने ₹ 8,572 करोड़ सीधे जारी किये । चूंकि ये निधियां राज्य बजट से प्रवाहित नही होती हैं, इसलिए ये राज्य सरकार के लेखों में प्रतिबिंबित नहीं होती हैं। ये हस्तान्तरण अब वित्त लेखे के खण्ड–II के परिशिष्ट VII में प्रदर्शित किये गये हैं।

1.3.2. विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, वित्त लेखे के पूरक हैं। ये समेकित निधि पर 'भारित' तथा राज्य विधानसभा द्वारा 'पारित' राशियों के विरूद्ध राज्य सरकार के व्यय को दर्शाते हैं। इसमें 4 प्रभारित विनियोजन तथा 51 दत्तमत अनुदान हैं।

विनियोग अधिनियम, 2013–14 में सकल व्यय के लिये ₹ 97,332 करोड़ तथा व्यय की कमी (वसूलियों) के लिए ₹ 2,460 करोड़ के प्रावधान उपलब्ध कराये गये। इसके विरूद्ध, वास्तविक सकल व्यय ₹ 96,718 करोड़ तथा व्यय में कमी ₹ 2,617 करोड़ थी, परिणामस्वरूप शुद्ध बचत ₹ 614 करोड़ तथा व्यय की कमी पर ₹ 157 करोड़ (6 प्रतिशत) अनुमान से कम रहे। सकल व्यय में सारांश आकस्मिक बिल (एसी) द्वारा आहरित ₹ 290 करोड़ शामिल हैं जो कि वर्ष के अन्त तक विस्तृत आकस्मिक बिल (डी सी) की प्रत्याशा में बकाया थे।

2013–14 के दौरान, ₹ 14,229 करोड़ लोक लेखा के अंतर्गत निजी निक्षेप (पी.डी.) खाते में स्थानान्तरित/जमा किये गये, जो कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए पदनामित प्रशासकों द्वारा संधारित किये जाते हैं। ऐसे स्थानान्तरणों का विवरण, यदि कोई, तथा व्यक्तिगत निजी निक्षेप खातों में बकाया शेष केवल कोषालय के पास उपलब्ध होता है, क्योंकि ऐसे अभिलेखों के संधारण के लिए वे ही उत्तरदायी है।

1.4. निधियों का स्त्रोत तथा आवेदन

1.4.1. अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को उनकी तरलता बनाये रखने के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा प्रदान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संधारित तयशुदा न्यूनतम रोकड़ शेष (₹ 2.34 करोड़) में यदि कमी आती है, तो अधिविकर्ष (ओडी) की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है । 2013–14 के दौरान, राजस्थान सरकार द्वारा अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष सुविधा नहीं ली गयी।

1.4.2. निधि प्रवाह विवरण

राज्य में ₹ 1,039 करोड़ का राजस्व घाटा तथा ₹ 15,189 करोड़ का राजकोषीय घाटा था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)[1] का क्रमश: 0.20 प्रतिशत तथा 2.96 प्रतिशत था। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 16.88 प्रतिशत था। यह घाटा लोक ऋण (₹ 10,376 करोड़) तथा लोक लेखा एवं रोकड़ शेष में निवल वृद्धि (₹ 4,813 करोड़) से पूरित किया गया । राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 74,471 करोड़) का लगभग 60 प्रतिशत वचनबद्ध व्यय जैसे, संवेतन (₹ 20,170 करोड़), ब्याज अदायगियां (₹ 9,063 करोड़), पेंशन (₹ 7,801 करोड़), सहाय्य (₹ 6,940 करोड़) तथा मजदूरी (₹ 434 करोड़) पर खर्च हुआ।

[1] सिवाय जहां अन्यथा दर्शाया गया हो, इस प्रकाशन में उपयोजित सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़े राजस्थान सरकार के आयोजना विभाग के आर्थिक सर्वे से लिये गये हैं।

धन का स्त्रोत एवं आवेदन

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राशि
	01.04.2013 को प्रारम्भिक नकद शेष	(-) 43
	राजस्व प्राप्तियां	74,471
	पूंजीगत प्राप्तियां	10
	कर्ज तथा अग्रिम की कटौती	316
	लोक ऋण	14,491
स्त्रोत	अल्प बचतें, भविष्य निधि तथा अन्य	6,311
	आरक्षित निधियां	2,582
	प्राप्त जमा	89,427
	सिविल अग्रिम पुनर्भुगतान	9
	उचन्त लेखा *	1,15,753
	प्रेषण	9,907
	आकस्मिकता निधि	..
	योग	**3,13,234**

	विवरण	राशि
	राजस्व व्यय	75,510
	पूंजीगत व्यय	13,664
	दिये गये ऋण	812
	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	4,115
	अल्प बचतें, भविष्य निधि तथा अन्य	3,790
आवेदन	आरक्षित निधियां	2,956
	जमा खर्च	89,849
	दिये गये सिविल अग्रिम	8
	उचन्त लेखा *	1,12,610
	प्रेषण	9,914
	31.03.2014 को अंतिम नकद शेष	6
	योग	**3,13,234**

* उचन्त खाते में कोषालय बिलों में निवेशित ₹ 1,15,657 करोड़ तथा विभागीय शेषों तथा स्थायी नकद अग्रदाय का वितरण, जिन्हें " आवेदन " पक्ष की ओर दर्शाया गया है तथा भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बिल विक्रय किये गये (₹ 1,12,527 करोड़) के कोषालय बिलों ("पुन: बट्टे" के रूप में जाने जानी वाली एक प्रक्रिया) तथा विभागीय शेषों तथा स्थाई नकद अग्रदाय में प्राप्तियां जिन्हें " स्त्रोतों " की तरफ दर्शाया गया है, सम्मिलित है। ऐसे निवेश का निवल राज्य सरकार के अंतिम नकद शेष (₹ 3,130 करोड़) का पूरक होता है।

1.4.3. रुपया जहाँ से आया :

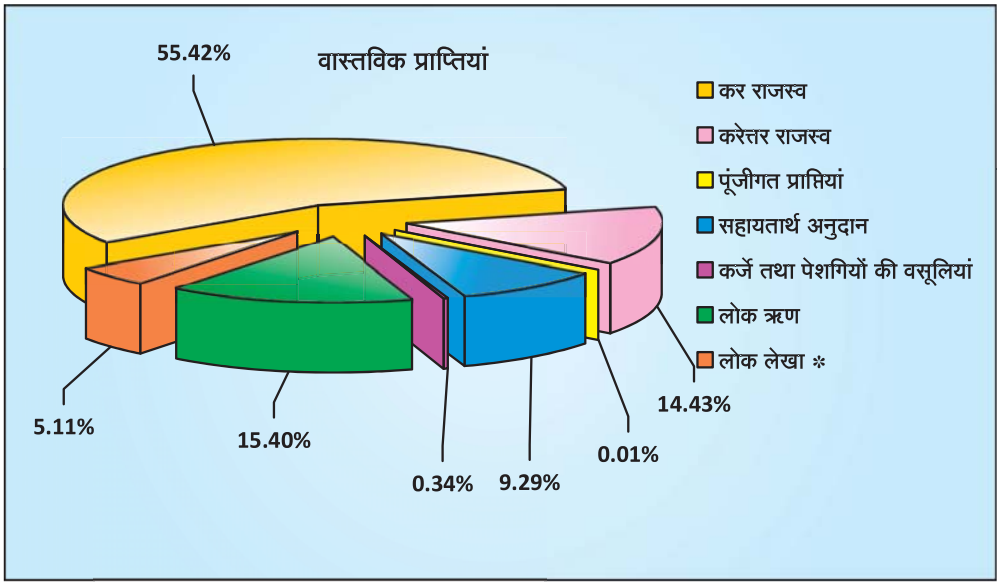

* लोक लेखे (रोकड़ शेष सम्मिलित करते हुए) घटक निवल लिये गये हैं।

1.4.4. रुपया जहाँ गया :

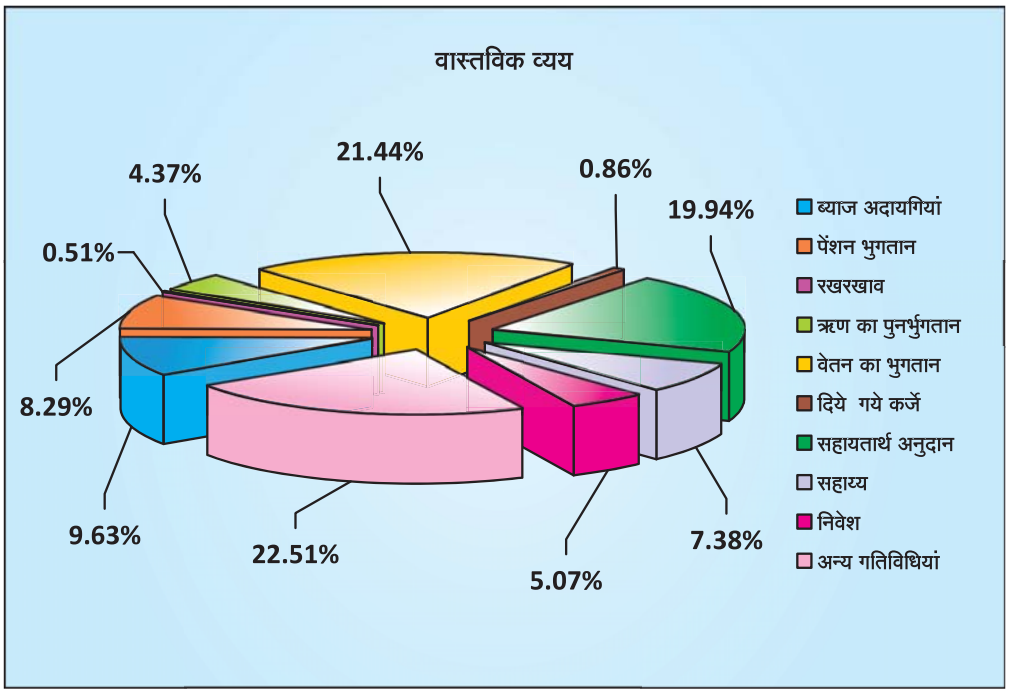

1.5. लेखे की विशिष्टताएं

		आय-व्ययक अनुमान 2013-14	वास्तविक	वास्तविक का आय-व्ययक अनुमान से प्रतिशतता	वास्तविक का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता @
		(₹ करोड़ में)			
1.	कर राजस्व*	54,414	52,151	95.84	10.15
2.	करेत्तर राजस्व	12,655	13,575	107.27	2.64
3.	सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	10,152	8,745	86.14	1.70
4.	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	77,221	74,471	96.44	14.50
5.	पूंजीगत प्राप्तियां	8	10	125.00	..
6.	कर्ज तथा अग्रिम की वसूलियां	191	316	165.45	0.06
7.	निवल उधार और अन्य दायित्व	13,020	15,189	116.66	2.96
8.	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	13,219	15,515	117.37	3.02
9.	कुल प्राप्तियां (4+8)	90,440	89,986	99.50	17.52
10.	आयोजना भिन्न व्यय	59,224	58,282	98.41	11.35
11.	राजस्व लेखे पर आयोजना भिन्न व्यय	58,935	58,146	98.66	11.32
12.	ब्याज अदायगियां आयोजना भिन्न व्यय कॉलम 11 में से	9,241	9,063	98.07	1.76
13.	पूंजीगत लेखा पर आयोजना भिन्न व्यय	289	136	47.06	0.03
14.	आयोजना व्यय	31,516	31,704	100.60	6.17
15.	राजस्व लेखा पर आयोजना व्यय	17,260	17,364	100.60	3.38
16.	पूंजीगत लेखा पर आयोजना व्यय	14,256	14,340	100.59	2.79
17.	कुल व्यय (10+14)	90,740	89,986	99.17	17.52
18.	राजस्व लेखे पर व्यय (11+15)	76,195	75,510	99.10	14.70
19.	पूंजीगत लेखे पर व्यय ** (13+16)	14,245	14,476	101.62	2.82
20.	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) *** (4-18)	(+) 1,026	(-) 1,039	..	0.20
21.	राजकोषीय घाटा *** [17-(4+5+6)]=7	13,020	15,189	116.66	2.96

@ विस्तृत रूप से वर्ष के दौरान स्थायी सम्पत्तियों के उपभोग हेतु प्रावधान करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा दी गई समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में जाना जाता हैं।

* भारत सरकार से प्राप्त ₹ 18,673 करोड़ राज्य को निवल आगम का भाग के शामिल हैं।

** पूंजीगत लेखे पर व्यय में पूंजीगत व्यय (₹ 13,664 करोड़) तथा वितरित किये गये कर्जे और पेशगियां (₹ 812 करोड़) शामिल हैं।

*** राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य है। राजस्व तथा पूंजीगत व्यय (वितरित कर्जे और पेशगियां सहित) का राजस्व प्राप्तियों, कर्जे और पेशगियां की वसूलियां तथा अन्य प्राप्तियां पर रहे आधिक्य को राजकोषीय घाटे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

1.6. अधिशेष तथा घाटा क्या इंगित करते हैं ?

घाटा	प्राप्तियां तथा व्यय के मध्य अंतर को इंगित करता है। घाटे का प्रकार, घाटा कैसे पोषित होता है तथा निधियों का आवेदन, वित्तीय प्रबन्धन में विवेक का महत्वपूर्ण सूचक है।
राजस्व घाटा/अधिशेष	राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय के मध्य अंतर को इंगित करता है। राजस्व व्यय सरकार के वर्तमान ढाँचे के संधारण में आवश्यक है तथा आदर्श रूप से राजस्व प्राप्तियों से पूरित होना चाहिये।
राजकोषीय घाटा/अधिशेष	कुल प्राप्तियां (उधार के अतिरिक्त) तथा कुल व्यय के मध्य अंतर को इंगित करता है। यह अंतर यद्यपि, उधार द्वारा पोषित व्यय का सूचक है। आदर्श रूप से उधार पूंजीगत परियोजनाओं में निवेश किया जाना चाहिए।

घाटा सूचक, राजस्व वृद्धि तथा व्यय प्रबंधन सरकार की राजकोषीय कार्यशैली को जांचने के मुख्य मापदण्ड है। ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंषा की प्राप्ति के लिये राजस्थान सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 गठित किया गया तथा 2006 में इससे सम्बन्धित नियमावली अधिसूचित की गयी। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंषा तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (2011) में संशोधन के अनुसार राज्य ने (i) वित्तीय वर्ष 2011–12 से राजस्व घाटे को खत्म करने तथा उसके बाद यथास्थिति रखने अथवा राजस्व अधिशेष प्राप्ति, (ii) वित्तीय वर्ष 2011–12 से राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत या इससे कम करने तथा बाद में इसे बनाये रखना तथा (iii) 2014–15 की समाप्ति पर बकाया दायित्वों को अनुमानित राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 36.5 प्रतिशत तक कम करने तथा 31 मार्च 2014 को बकाया दायित्व 37.3 प्रतिशत करने के राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किये। राज्य सरकार का 2010–11 से 2012–13 तक राजस्व अधिशेष था जो 2013–14 में राजस्व घाटा बन गया। 2013–14 के अन्त में राजकोषीय घाटा अनुमानित राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.96 प्रतिशत तथा बकाया दायित्व 25.29 प्रतिशत थे।

1.6.1. राजस्व घाटा/अधिशेष का रूझान

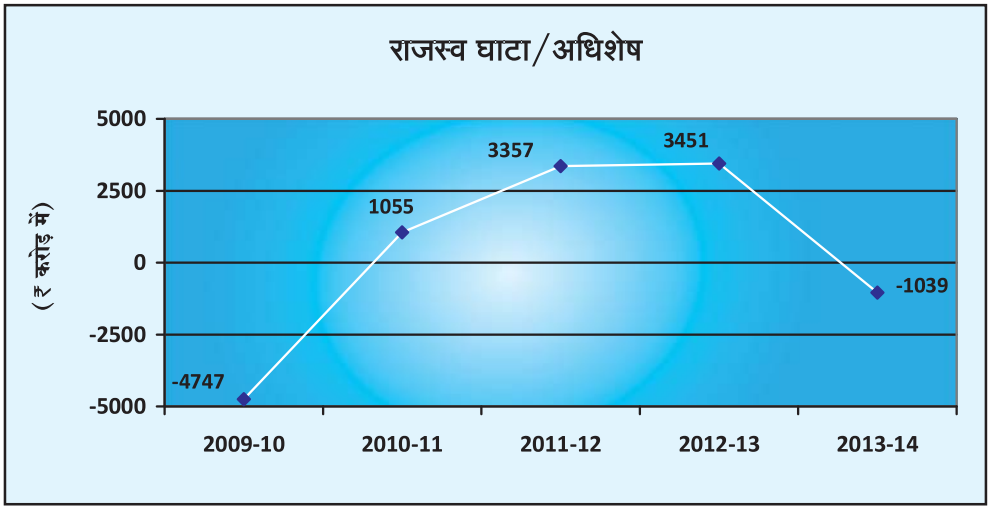

1.6.2. राजकोषीय घाटे का रूझान

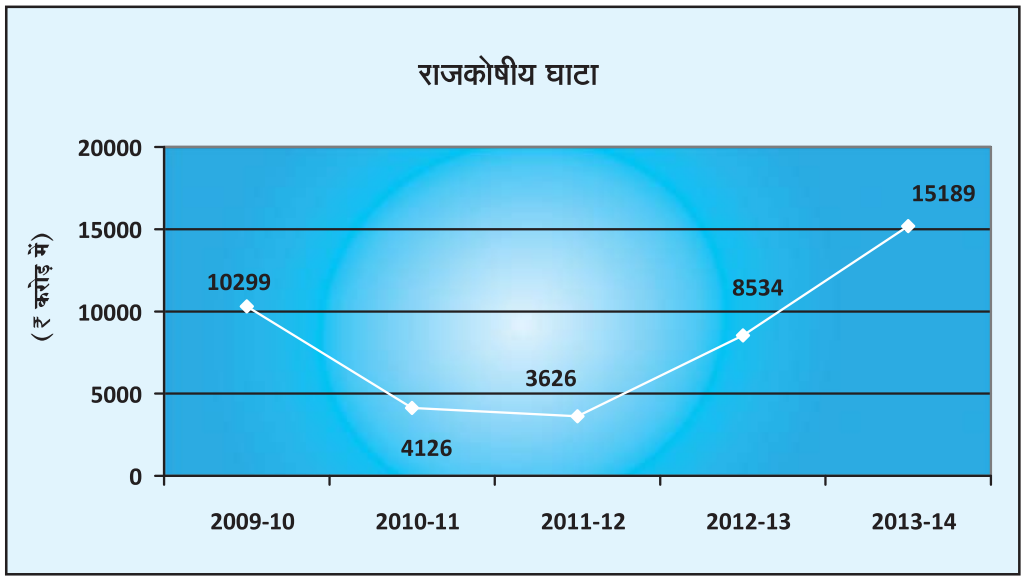

1.6.3. उधार ली गई निधियों का अनुपात जो पूंजीगत व्यय पर खर्च किया गया

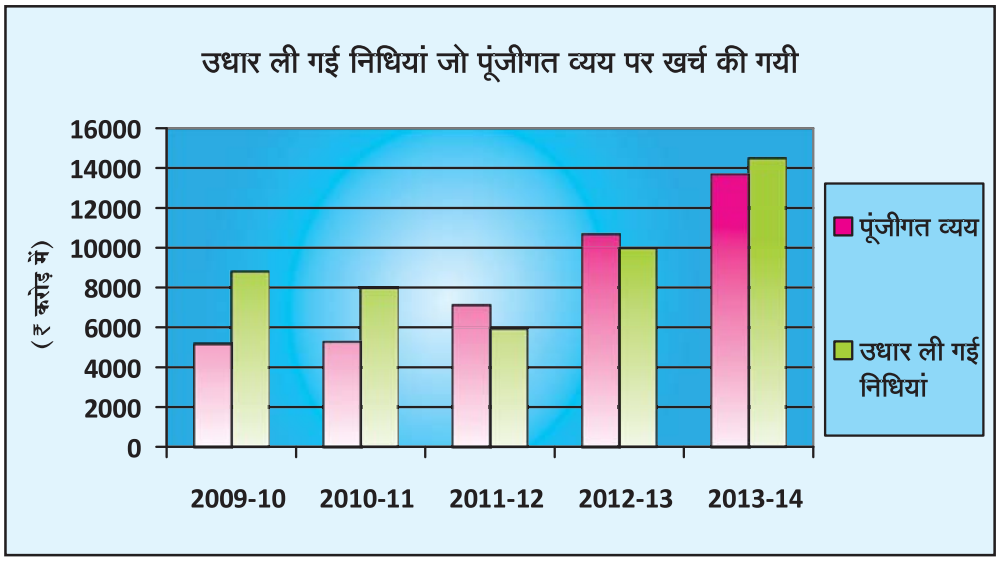

यह वांछित है कि उधार ली गई निधियों का पूर्ण उपयोग पूंजीगत सम्पत्तियों के सृजन हेतु किया जाये, तथा राजस्व प्राप्तियों का प्रयोग मूलधन तथा उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु किया जाए। राज्य सरकार ने यद्यपि, पूंजी लेखे (₹ 13,664 करोड़) पर चालू वर्ष की उधारी (₹ 14,491 करोड़) की तुलना में कम व्यय किया तथा शेष उधारी (₹ 827 करोड़) राजस्व घाटे की पूर्ति में उपयोजित किया गया।

अध्याय – 2

प्राप्तियां

2.1. प्रस्तावना

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। 2013–14 के लिए कुल प्राप्तियां ₹ 89,986 करोड़ थी।

2.2. राजस्व प्राप्तियां

कर राजस्व	राज्य द्वारा संग्रहित एवं उपयोजित कर तथा संविधान के अनुच्छेद 280(3) के अंतर्गत केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा सम्मिलित है।
करेत्तर राजस्व	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ, रॉयल्टी आदि सम्मिलित है।
सहायतार्थ अनुदान	संघ सरकार से राज्य सरकार को आवश्यक केन्द्रीय सहायता का रूप है, जिसमें विदेशी सरकारों तथा संघ सरकार के माध्यम से प्राप्त '' बाह्य सहायता '' सम्मिलित है। राज्य सरकार भी संस्थाओं जैसे पंचायती राज्य संस्थाएं, स्वायत्तशासी निकायों आदि को सहायतार्थ अनुदान देती है।

2.2.1. राजस्व प्राप्ति के घटक (2013–14)

(₹ करोड़ में)

संघटक	वास्तविक	राजस्व प्राप्ति से प्रतिशतता
क. कर राजस्व *	**52,151**	**70.03**
आय एवं व्यय पर कर	10,415	13.99
सम्पत्ति एवं पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	3,494	4.69
सेवाओं एवं वस्तुओं पर कर	38,242	51.35
ख. करेत्तर राजस्व	**13,575**	**18.23**
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ	2,167	2.91
सामान्य सेवाएं	1,344	1.81
सामाजिक सेवाएं	708	0.95
आर्थिक सेवाएं	9,356	12.56
ग. सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	**8,745**	**11.74**
योग– राजस्व प्राप्तियां	**74,471**	**100.00**

* भारत सरकार से प्राप्त राज्यों का निवल आगम का भाग सम्मिलित है।

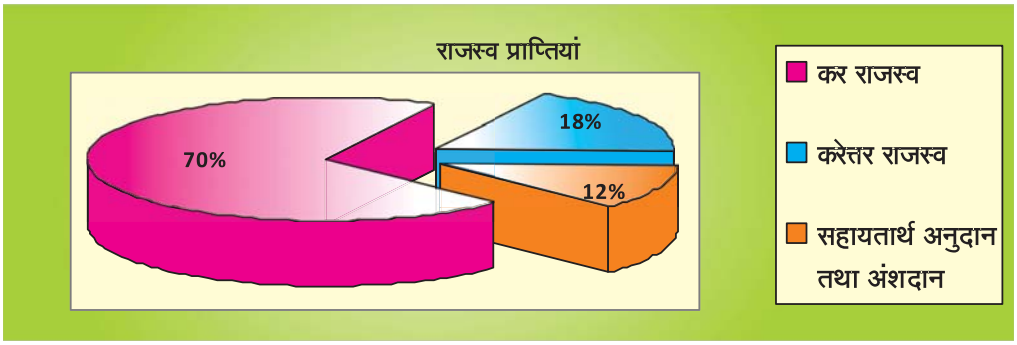

2.2.2. राजस्व के मुख्य अशंदाता:–

(₹ करोड़ में)

संघटक	वास्तविक	सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	21,216	4.13
निगम कर	6,280	1.22
राज्य उत्पाद शुल्क	4,982	0.97
आय पर निगम कर से भिन्न कर	4,135	0.80
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	3,125	0.61
सीमा शुल्क	3,047	0.59
सेवा शुल्क	3,042	0.59
वाहन कर	2,499	0.49
संघ उत्पाद शुल्क	2,152	0.42
विद्युत कर तथा शुल्क	949	0.18

वर्ष के दौरान शुद्ध कर राजस्व प्राप्तियां बजट प्रावधान की तुलना में ₹ 2,263 करोड़ कम थी। मुख्य परिवर्तन निम्न रहे:–

(₹ करोड़ में)

जहां वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमान से कम थी		जहां वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमान से अधिक थी	
निगम कर	768	भू–राजस्व	153
सीमा शुल्क	243	राज्य उत्पाद	482
संघ उत्पाद शुल्क	165	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	166
स्टाम्प तथा पंजीकरण	775		
आय पर निगम कर से भिन्न कर	227		
सेवा शुल्क	284		
विद्युत कर तथा शुल्क	564		

2.3. प्राप्तियों का रूझान

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
कर राजस्व	25,672 (10)	33,614 (10)	40,354 (10)	47,606 (10)	52,151 (10)
करेत्तर राजस्व	4,558 (2)	6,294 (2)	9,175 (2)	12,133 (3)	13,575 (3)
सहायतार्थ अनुदान	5,155 (2)	6,020 (2)	7,482 (2)	7,174 (2)	8,745 (2)
कुल राजस्व प्राप्ति	35,385 (14)	45,928 (14)	57,011 (14)	66,913 (15)	74,471 (15)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**2,65,825**	**3,38,348**	**4,03,422**	**4,59,215**	**5,13,688**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।

2013–14 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 12 प्रतिशत वृद्धि तथा राजस्व संग्रहण में 11 प्रतिशत की वृद्धि थी। कर राजस्व में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो करेत्तर राजस्व (12 प्रतिशत) की तुलना में कम थी।

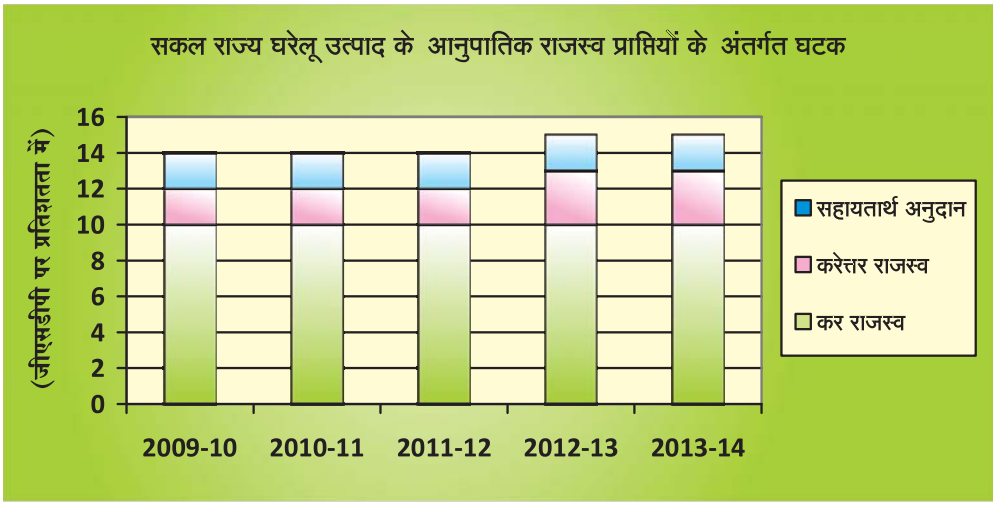

खण्डवार राजस्व कर

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आय एवं व्यय पर कर	5,932 (2)	7,680 (2)	8,890 (2)	9,822 (2)	10,415 (2)
सम्पत्ति एवं पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	1,651 (1)	2,464 (1)	3,061 (1)	3,800 (1)	3,494 (1)
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	18,089 (7)	23,470 (7)	28,403 (7)	33,984 (7)	38,242 (7)
कुल कर राजस्व	25,672 (10)	33,614 (10)	40,354 (10)	47,606 (10)	52,151 (10)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2,65,825	3,38,348	4,03,422	4,59,215	5,13,688

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।

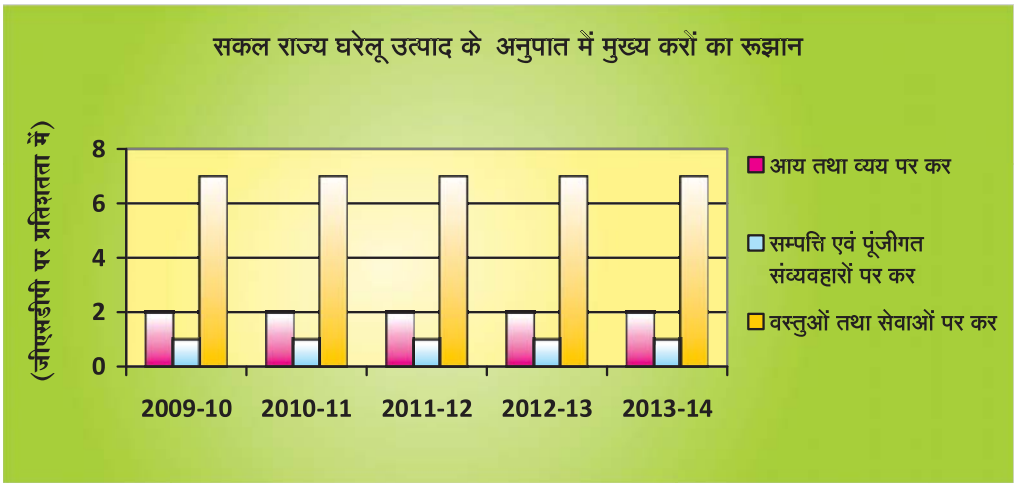

2.4. राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रहण की कार्यशैली

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	केन्द्रीय करों का राज्यांश	राज्य का स्वयं का कर राजस्व	
			₹	जीएसडीपी पर प्रतिशतता
2009-10	25,672	9,258	16,414	6
2010-11	33,614	12,856	20,758	6
2011-12	40,354	14,977	25,377	6
2012-13	47,606	17,103	30,503	7
2013-14	52,151	18,673	33,478	7

2.5. कर संग्रहण की दक्षता

क. सम्पत्ति एवं पूंजीगत संव्यवहारों पर कर

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व संग्रहण	1,651	2,464	3,061	3,800	3,494
संग्रहण पर व्यय	402	411	461	526	545
कर संग्रहण में दक्षता (प्रतिशत में)	24	17	15	14	16

ख. वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व संग्रहण	18,089	23,470	28,403	33,984	38,242
संग्रहण पर व्यय	315	376	615	503	577
कर संग्रहण में दक्षता (प्रतिशत में)	2	2	2	1	2

वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर, कर राजस्व का मुख्य भाग बनाती है। कर संग्रहण क्षमता सराहनीय है। यद्यपि, सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर की संग्रहण क्षमता में सुधार किया जा सकता है।

2.6. गत पाँच वर्षों के दौरान संघ करों के राज्यांश में रूझान

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
निगम कर	3,810	5,025	5,895	6,144	6,280
आय पर निगम कर से भिन्न कर	2,123	2,656	2,994	3,678	4,135
धन पर कर	8	10	23	10	17
सीमा शुल्क	1,296	2,248	2,597	2,842	3,047
संघ उत्पाद शुल्क	1,043	1,635	1,680	1,931	2,152
सेवा शुल्क	978	1,282	1,788	2,498	3,042
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	..	..	..	..	..
संघ करों के राज्यांश	**9,258**	**12,856**	**14,977**	**17,103**	**18,673**
कुल कर राजस्व	**25,672**	**33,614**	**40,354**	**47,606**	**52,151**
कुल कर राजस्व पर संघ करों का प्रतिशत	**36**	**38**	**37**	**36**	**36**

2.7. सहायतार्थ अनुदान

सहायतार्थ अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता को प्रदर्शित करती है तथा इसमें योजना आयोग द्वारा स्वीकृत राज्य आयोजनागत योजनाएं, केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा वित्त आयोग द्वारा अनुशंषित राज्य आयोजना भिन्न अनुदान सम्मिलित है। 2013–14 के दौरान सहायतार्थ अनुदान के अंतर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 8,745 करोड़ नीचे दर्शाए अनुसार हैं:

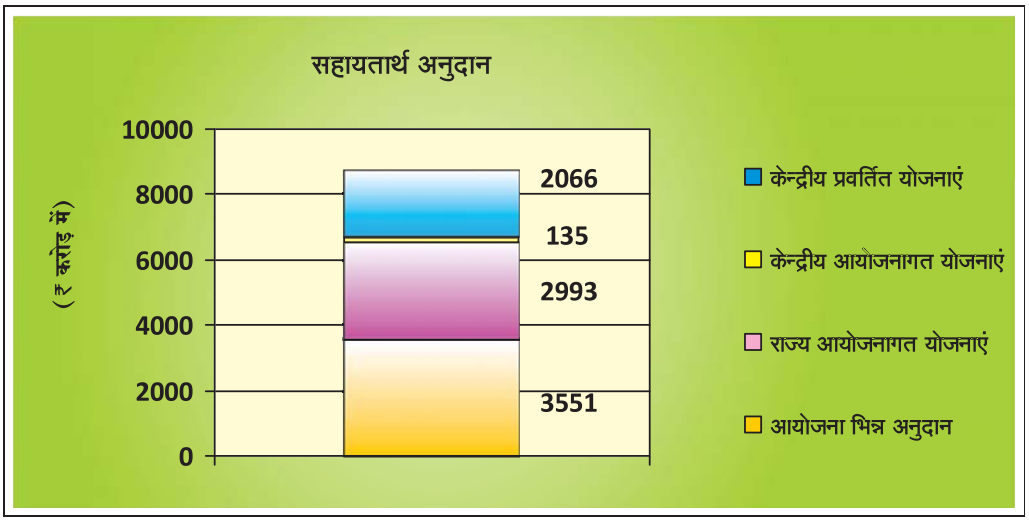

2.8. लोक ऋण

लोक ऋण (निवल) का गत 5 वर्षो का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आन्तरिक ऋण	5,994	4,754	2,559	5,516	10,608
केन्द्रीय ऋण	(-) 142	(-) 94	(-) 131	(-) 268	(-) 232
कुल लोक ऋण	5,852	4,660	2,428	5,248	10,376

टिप्पणी : ऋण राशियां प्राप्तियों के अधिक पुनर्भुगतान को इंगित करती है।

2013–14 में कुल ₹ 8,800 करोड़ के सत्रह ऋण 7.58 प्रतिशत से 9.82 प्रतिशत की विभिन्न ब्याज दर पर लिये गये। इन ऋणों में से सोलह ऋण वर्ष 2023 में चुकता होगें तथा बाकी एक 2024 में चुकता होगा।

अध्याय – 3

व्यय

3.1. प्रस्तावना

व्यय, राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत है। राजस्व व्यय संगठन को दिन प्रतिदिन चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। पूंजीगत व्यय का प्रयोग स्थायी सम्पत्तियों के सृजन अथवा ऐसी सम्पत्तियों के उपयोग को बढ़ाने अथवा स्थायी दायित्वों को कम करने के लिए किया जाता है। व्यय को आगे आयोजना भिन्न, आयोजना तथा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

सामान्य सेवाएं	न्याय, ब्याज अदायगियां, पुलिस, जेल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पेंशन इत्यादि सम्मिलित है।
सामाजिक सेवाएं	शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलपूर्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, पोषण तथा प्राकृतिक आपदाओं से राहत इत्यादि सम्मिलित है।
आर्थिक सेवाएं	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी इत्यादि सम्मिलित हैं।

3.2. राजस्व व्यय

2013–14 के लिये ₹ 75,510 करोड़ का राजस्व व्यय बजट अनुमानों से ₹ 685 करोड़ कम था जो आयोजना भिन्न व्यय के अंतर्गत ₹ 789 करोड़ का कम व्यय तथा आयोजना व्यय के अंतर्गत ₹ 104 करोड़ का अधिक व्यय होने के कारण रहा । राज्य सरकार ने नयी सेवाओं पर व्यय को पूरा करने के लिए माह अगस्त 2013 (₹ 3,093 करोड़) तथा फरवरी 2014 (₹ 3,262 करोड़) में ₹ 6,355 करोड़ का अनुपूरक अनुदान लिया यद्यपि, वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

गत पाँच वर्षों के दौरान राजस्व व्यय के विरूद्ध बजट अनुमानों की कमी/आधिक्य नीचे दिखाई जा रही है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
बजट अनुमान	39,677	43,562	51,934	62,219	76,195
वास्तविक	40,132	44,873	53,654	63,462	75,510
अन्तर	(-) 455	(-) 1,311	(-) 1,720	(-) 1,243	685
बजट अनुमानों पर अन्तर की प्रतिशतता	(-) 1	(-) 3	(-) 3	(-) 2	1

राजस्व व्यय का लगभग 59 प्रतिशत वेतन (₹ 20,170 करोड़, पूंजी क्षेत्र में वेतन पर किये गये ₹ 92 करोड़ को छोड़कर), ब्याज अदायगियां (₹ 9,063 करोड़), पेंशन (₹ 7,801 करोड़), सहाय्य (₹ 6,940 करोड़) तथा मजदूरी (₹ 434 करोड़) पर " वचनबद्ध " था।

वचनबद्ध तथा गैर वचनबद्ध राजस्व व्यय की गत पाँच वर्षों की स्थिति नीचे दिखायी जा रही है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व व्यय	40,132	44,873	53,654	63,462	75,510
वचनबद्ध राजस्व व्यय	27,179	29,317	32,859	38,257	44,408
गैर वचनबद्ध राजस्व व्यय	12,953	15,556	20,795	25,205	31,102*

* इसमें संवेतन हेतु जारी की गयी ₹ 5,378 करोड़ की सहायतार्थ अनुदान सम्मिलित है यदि इसे वचनबंद्ध व्यय में जोड़ दिया जाये तो वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता राजस्व व्यय की 66 प्रतिशत आती है।

3.2.1. राजस्व व्यय के मुख्य संघटक (2009–2014)

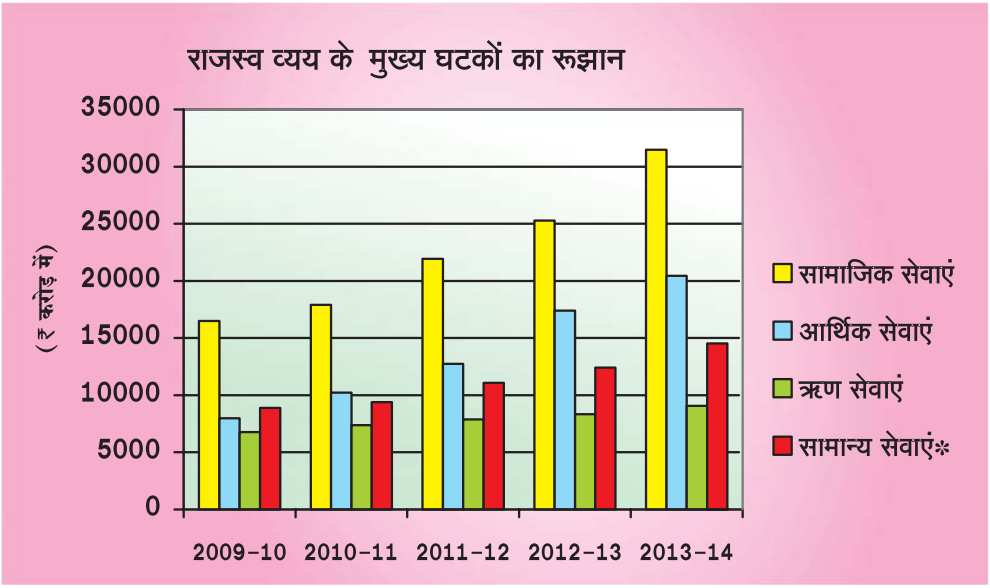

* सामान्य सेवाएं में मुख्य शीर्ष 2049 (ब्याज अदायगियां) तथा मुख्य शीर्ष 3604 (स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन)।

गत पाँच वर्षों के दौरान व्यय सभी क्षेत्रों में बढ़ा है।

3.2.2. राजस्व व्यय का खण्डवार विवरण

घटक	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता
क. राजकोषीय सेवाएं	1,124	2
सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण	545	1
वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण	577	1
अन्य राजकोषीय सेवाएं	2	..
ख. राज्य के अंग	799	1
ग. ब्याज अदायगियां तथा ऋण सेवा	9,063	12
घ. प्रशासनिक सेवाएं	4,129	5
ङ पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं	8,225	11
च. सामाजिक सेवाएं	31,486	42
छ. आर्थिक सेवाएं	20,435	27
ज. सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	249	..
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	**75,510**	**100**

3.3. पूंजीगत व्यय

2013–14 के लिए ₹ 13,664 करोड़ का पूंजीगत वितरण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत था जो कि बजट अनुमानों से ₹ 392 करोड़ कम था ।

3.3.1. पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण

2013–14 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा ₹ 969 करोड़ विभिन्न सिंचाई परियाजनाओं पर (₹ 518 करोड़ मुख्य सिंचाई, ₹ 101 करोड़ मध्यम सिंचाई तथा ₹ 350 करोड़ लघु सिंचाई), ₹ 2,758 करोड़ विभिन्न जलपूर्ति योजनाओं पर, ₹ 2,227 करोड़ सड़क तथा सेतु निर्माण पर व्यय किये गये। राज्य सरकार ने ₹ 4,775 करोड़ विभिन्न कम्पनियों/निगमों/सहकारी समितियों/बैंकों इत्यादि में भी निवेश किये । सरकारी निवेश का बड़ा हिस्सा विभिन्न विद्युत कम्पनियों (₹ 3,953 करोड़) में किया गया।

3.3.2. गत पाँच वर्षों के पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
सामान्य सेवाएं	(-) 577	155 (3)	204 (3)	249 (2)	334 (2)
सामाजिक सेवाएं	2,506 (44)	1,836 (33)	1,997 (24)	2,840 (22)	4,551 (31)
आर्थिक सेवाएं	3,246 (57)	3,260 (59)	4,918 (60)	7,594 (58)	8,779 (61)
कर्जे तथा पेशगियां	498 (9)	262 (5)	1,109 (13)	2,412 (18)	812 (6)
कुल योग	**5,673**	**5,513**	**8,228**	**13,095**	**14,476**

टिप्पणी : कोष्ठक में दर्शायी गयी राशियां कुल पूंजीगत व्यय पर प्रतिशतता दर्शाती हैं।

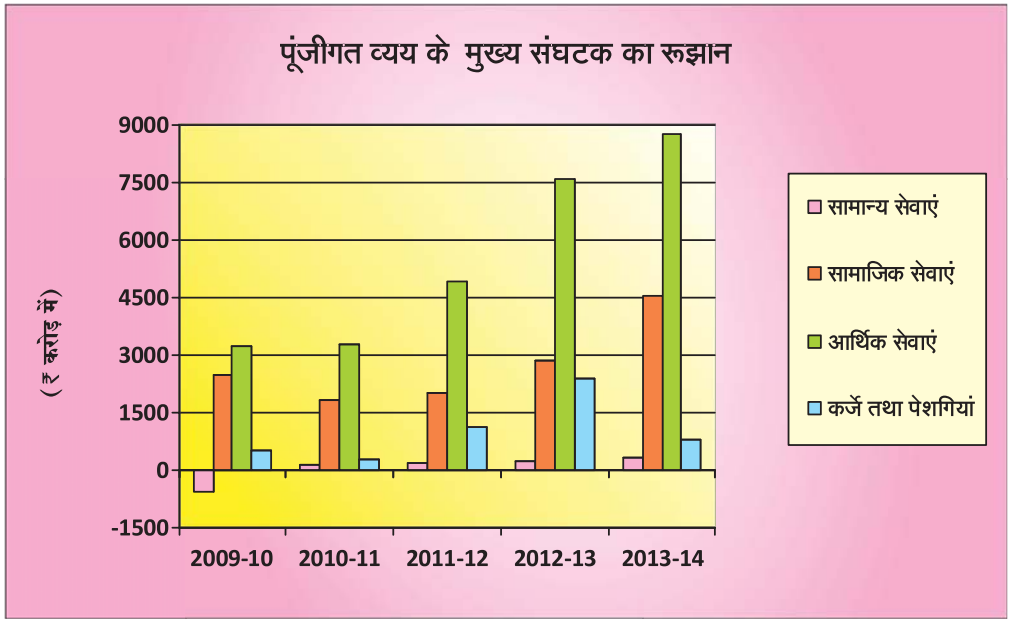

अध्याय – 4

आयोजना तथा आयोजना भिन्न व्यय

4.1. व्यय का वितरण

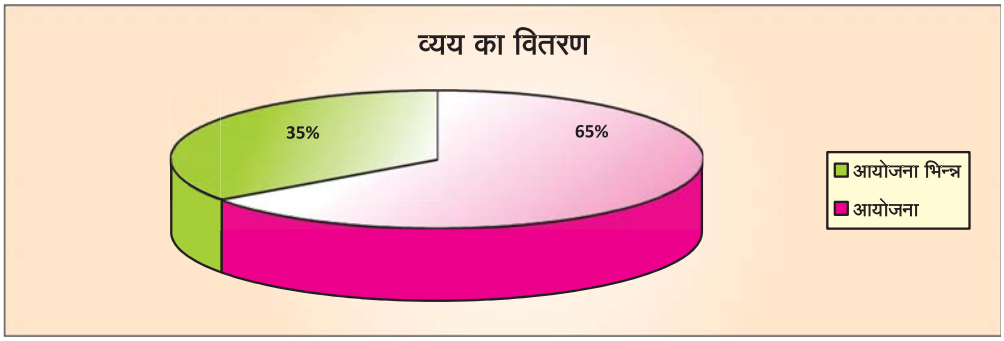

4.2. आयोजना भिन्न व्यय

वर्ष 2013–14 के दौरान आयोजना भिन्न व्यय, ₹ 58,282 करोड़, {₹ 58,146 करोड़ राजस्व, ₹ (–) 12 करोड़ पूंजीगत तथा ₹ 148 करोड़ कर्जे तथा अग्रिम} के अंतर्गत कुल वितरण के 65 प्रतिशत को दर्शाता है।

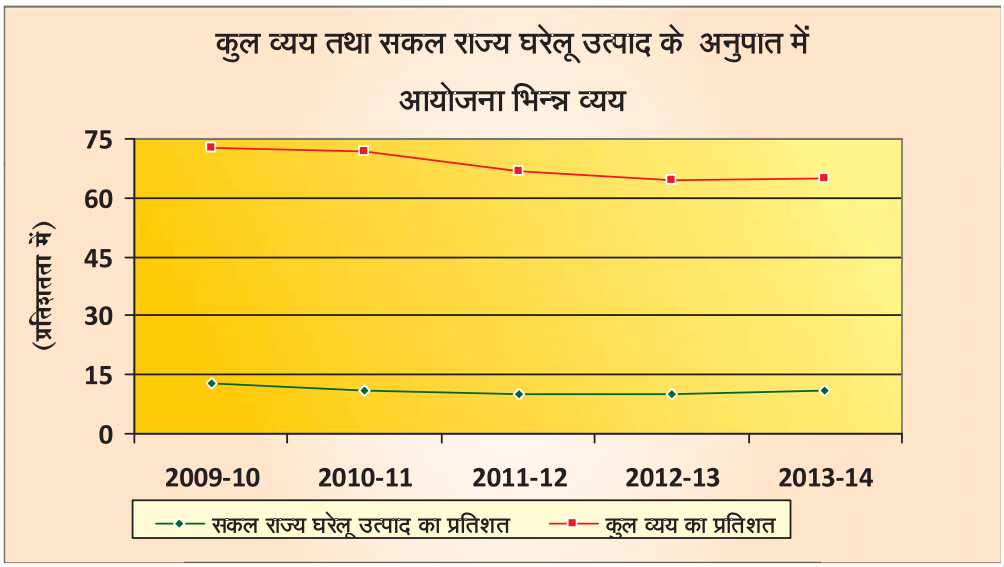

4.3. आयोजना व्यय

2013–14 के दौरान, ₹ 31,704 करोड़ का आयोजना व्यय (केन्द्रीय प्रवर्तित योजना सहित) ₹ 17,364 करोड़ राजस्व, ₹ 13,676 करोड़ पूंजीगत तथा ₹ 664 करोड़ कर्जे तथा पेशगियां के अंतर्गत कुल वितरण के 35 प्रतिशत को दर्शाता है।

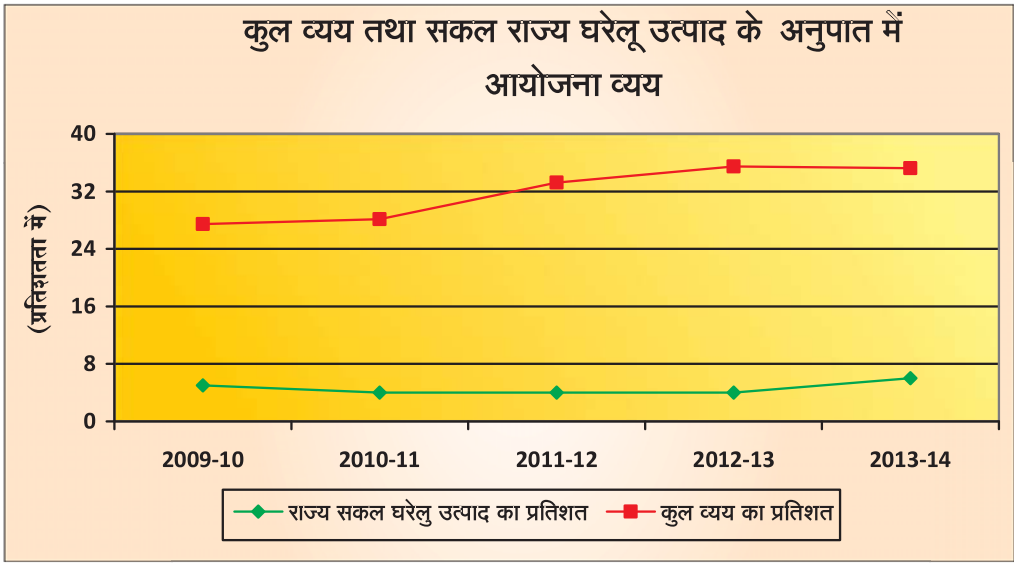

4.3.1. पूंजीगत लेखे के अंतर्गत आयोजना व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
कुल पूंजीगत व्यय	5,673	5,513	8,228	13,095	14,476
पूंजीगत व्यय (आयोजना)	6,282	5,420	8,154	12,924	14,340
कुल पूंजीगत व्यय पर पूंजीगत व्यय (आयोजना) की प्रतिशतता	111	98	99	99	99

4.3.2. कर्जे एवं अग्रिम के अंतर्गत आयोजना व्यय

कर्जे तथा अग्रिम का महत्वपूर्ण वितरण निम्नानुसार है :

मुख्य शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	उद्देश्य
6210. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के लिए कर्ज	**4**	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम को कर्जे
6216. आवास के लिए कर्ज	**215**	राजस्थान आवास विकास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज	**29**	जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज	**53**	छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरो के समग्र विकास के लिए नगर परिषदों/नगर पालिकाओं को कर्जे
6403. पशुपालन के लिए कर्ज	**3**	राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को कर्जे
6404. डेयरी विकास के लिए कर्ज	**79**	राजस्थान राज्य को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड को कर्ज
6408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज	**70**	गोदाम निर्माण हेतु कर्ज
6425. सहकारिता के लिए कर्ज	**46**	राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, ए.आर.सी. की विशिष्ठ योजनाओं के ऋण पत्र के लिये सहकारी समितियों, स्पिन फेड/ कोटन कोम्पलेक्स तथा समग्र व सूक्ष्म विकास हेतु अन्य सहकारी समितियों को कर्ज
6851. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज	**2**	राजस्थान लघु उद्योग उद्योग निगम लिमिटेड को कर्ज
7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज	**138**	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड को कर्जे
7452. पर्यटन के लिए कर्ज	**25**	राजस्थान पर्यटन विकास निमगम लिमिटेड तथा राजस्थान स्टेट होटल निगम लिमिटेड को कर्ज

4.4. वचनबद्ध व्यय

(₹ करोड़ में)

संघटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
वचनबद्ध व्यय	27,179	29,317	32,859	38,257	44,408
राजस्व व्यय	40,132	44,873	53,654	63,462	75,510
राजस्व प्राप्तियों पर वचनबद्ध व्यय (प्रतिशत में)	77	64	58	57	60
राजस्व व्यय पर वचनबद्ध व्यय (प्रतिशत में)	68	65	61	60	59

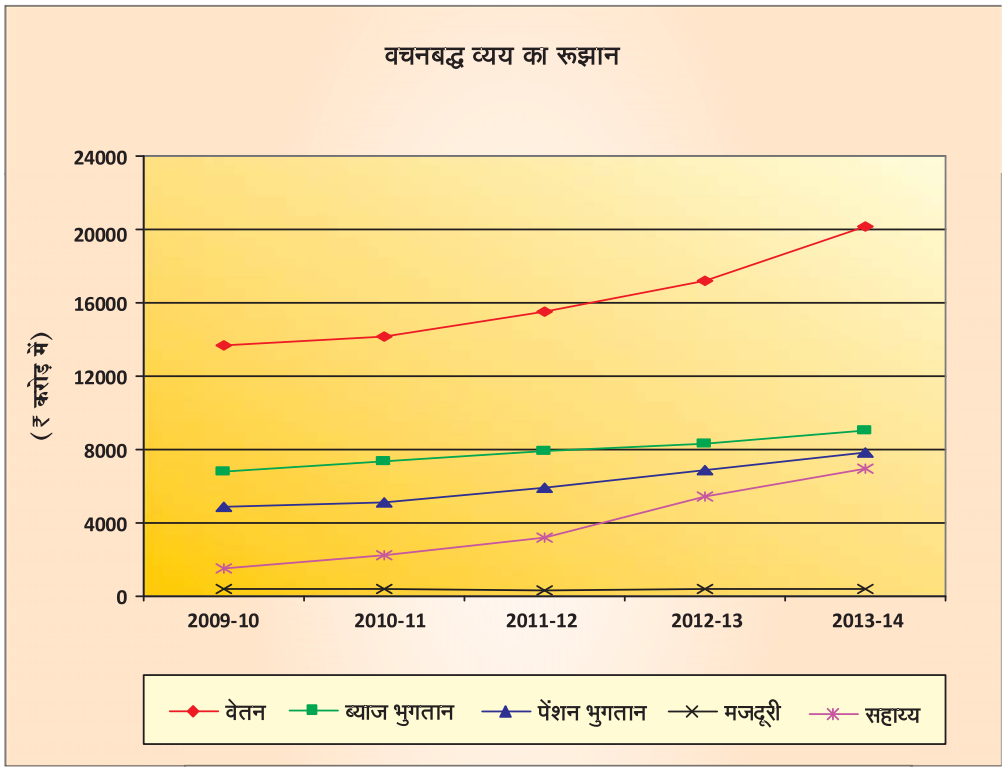

वचनबद्ध व्यय पर बढ़ता रूझान सरकार को विकास कार्यों पर कम व्यय को मजबूर करता है।

अध्याय – 5

विनियोग लेखे

5.1. विनियोग लेखे का सारांश

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)	अभ्यर्पण
राजस्व						
दत्तमत	68,427	6,330	74,757	68,157	(-) 6,600	6,480
भारित	*9,340*	*25*	*9,365*	*9,178*	*(-) 187*	*187*
पूंजी						
दत्तमत	14,944	2,115	17,059	14,456	(-) 2,603	2,387
भारित	..*	..**	..***	..$	..#	..@
लोक ऋण						
भारित	*4,132*	..	*4,132*	*4,115*	*(-) 17*	*17*
कर्जे तथा पेशगियां						
दत्तमत	189	650	839	812	(-) 27	163
आकस्मिकता निधि से विनियोग						
दत्तमत	300	..	300	..	(-) 300	..
योग	**97,332**	**9,120**	**1,06,452**	**96,718**	**(-) 9,734**	**9,234**

* ₹ 0.06 लाख मात्र ** ₹ 14.65 लाख मात्र

*** ₹ 14.71 लाख मात्र $ ₹ 14.68 लाख मात्र

₹ (–) 0.03 लाख मात्र @ ₹ 0.03 लाख मात्र

5.2. गत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य का रूझान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत (-)/आधिक्य (+)				योग
	राजस्व	पूंजी	लोक ऋण	कर्जे तथा अग्रिम	
2009-10	(-) 1,959	(-) 2,699	(-) 2	(-) 6	(-) 4,666
2010-11	(-) 2,455	(-) 3,091	..	(+) 147	(-) 5,399
2011-12	(-) 3,525	(-) 3,343	..	(+) 331	(-) 6,537
2012-13	(-) 5,293	(-) 2,143	(-) 12	(+) 611	(-) 6,837
2013-14	(-) 6,787	(-) 2,903*	(-) 17	(-) 27	(-) 9,734

* आकस्मिकता निधि से विनियोजन खाते की बचत शामिल हैं।

5.3. महत्वपूर्ण बचत

अनुदान के अंतर्गत महत्वपूर्ण बचत निश्चित योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वित न होने अथवा धीमे क्रियान्वयन को दर्शाती है।

कुछ अनुदानों में निरन्तर तथा महत्वपूर्ण बचत नीचे दर्शायी गयी है:

(₹ करोड़ में)

अनुदान	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भारित 2	ब्याज अदायगियां (राजस्व)	36	58	121	155	178
003	सचिवालय (राजस्व)	19	42	357	173	45
008	राजस्व (राजस्व)	42	171	137	97	72
009	वन (राजस्व)	84	66	135	154	188
009	वन (पूंजी)	59	49	20	27	16
015	पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (राजस्व)	75	188	224	168	127
019	लोक निर्माण (पूंजी)	48	22	109	136	278
024	शिक्षा, कला तथा संस्कृति (राजस्व)	147	257	514	966	1203
026	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता (राजस्व)	212	362	193	170	317
027	पेय जल योजना (पूंजी)	1071	705	593	178	200
029	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास (राजस्व)	21	178	103	139	211
029	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास (पूंजी)	187	269	355	194	415
030	जनजाति क्षेत्रीय विकास (राजस्व)	126	44	194	277	306
030	जनजाति क्षेत्रीय विकास (पूंजी)	81	20	395	232	223
033	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (राजस्व)	142	163	91	174	200
034	प्राकृतिक आपदाओं से राहत (राजस्व)	264	360	544	408	87
037	कृषि (राजस्व)	55	38	89	117	88
041	सामुदायिक विकास (राजस्व)	94	7	27	113	199
046	सिंचाई (पूंजी)	186	182	171	229	279
050	ग्रामीण रोजगार (राजस्व)	264	27	76	61	57
051	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना (राजस्व)	48	17	203	196	262
051	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना (पूंजी)	6	11	402	124	275

2013–14 के दौरान ₹ 9,120 करोड़ की कुल अनुपूरक अनुदान (कुल व्यय का 9 प्रतिशत) कुछ प्रकरणों में अनावश्यक सिद्ध हुई, जहाँ वर्ष की समाप्ति पर मूल आवंटन के विरुद्ध महत्वपूर्ण बचत भी रही। ऐसे कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

(₹ करोड़ में)

अनुदान	विवरण	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
001	राज्य विधान मंडल	राजस्व	47	2	43
013	राज्य आबकारी	राजस्व	89	3	87
015	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति परिलाभ	राजस्व	7,850	78	7,801
019	लोक निर्माण	राजस्व	394	4	349
020	आवास	राजस्व	68	17	61
024	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	राजस्व	14,453	362	13,612
026	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	राजस्व	4,102	215	4,000
029	शहरी योजना तथा क्षेत्रीय विकास	राजस्व	2,352	35	2,176
029	शहरी योजना तथा क्षेत्रीय विकास	पूंजी	1,396	64	1,045
030	जनजाति क्षेत्रीय विकास	राजस्व	3,372	187	3,253
030	जनजाति क्षेत्रीय विकास	पूंजी	1,649	174	1,600
046	सिंचाई	राजस्व	1,689	53	1,646
047	पर्यटन	राजस्व	23	1	21
048	बिजली	राजस्व	9,381	10	7,213
051	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	पूंजी	1,861	232	1,818

अध्याय – 6

सम्पत्तियां एवं दायित्व

6.1. सम्पत्तियां

लेखों का वर्तमान प्रारूप सरकारी सम्पत्तियों जैसे भूमि, भवन इत्यादि का मूल्यांकन, केवल प्राप्ति/क्रय करने का वर्ष छोड़कर सरलता से प्रदर्शित नहीं करता । इसी प्रकार, जबकि लेखे चालू वर्ष में बढ़े दायित्वों का प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, वे भविष्य में उत्पन्न होने वाले समग्र दायित्वों के प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं, केवल वर्तमान ऋण की अवधि तथा ब्याज की दर जैसे सीमित प्रदर्शन को छोड़कर।

2013–14 के अंत में गैर वाणिज्यिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अंश–पूंजी के रूप में कुल निवेश ₹ 23,518 करोड़ था। यद्यपि वर्ष के दौरान निवेश पर ₹ 25 करोड़ (अर्थात् 0.10 प्रतिशत) के लाभांश प्राप्त हुए। वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 4,765 करोड़ से निवेश बढ़ा जबकि लाभांश से आय ₹ 32 करोड़ से घटी । मुख्य निवेश ऊर्जा कम्पनियों (₹ 3,878 करोड़) में किया गया।

31 मार्च 2013 को रोकड़ शेष ₹ (–) 43 करोड़ था तथा मार्च 2014 के अंत तक ₹ 6 करोड़ तक बढ़ा ।

6.2. ऋण एवं देयता

भारत के संविधान का अनुच्छेद 293 राज्य सरकार को राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर निश्चित सीमा के अन्दर, यदि कोई हो, जैसा कि राज्य विधान मण्डल द्वारा समय–समय पर निश्चित की गई हो, उधार लेने के लिए अधिकृत करता है।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल दायित्वों का विवरण निम्नानुसार है (आंकड़े वर्ष के अंत में अग्रेषित शेष है) :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	लोक लेखा *	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	कुल देयताएं	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता
2009-10	64,618	24	26,915	10	91,533	34
2010-11	69,278	20	30,007	9	99,285	29
2011-12	71,706	18	34,854	9	1,06,560	26
2012-13	76,954	17	40,855	9	1,17,809	26
2013-14	87,330	17	42,580	8	1,29,910	25

* अग्रिम, उचन्त तथा विविध एवं प्रेषण शेषों को छोड़कर।

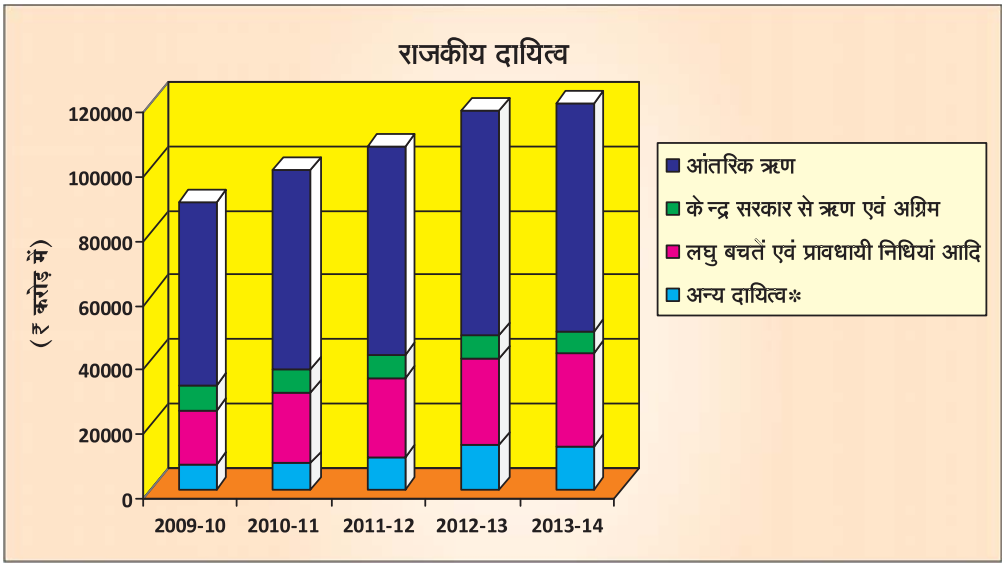

* अन्य दायित्वों में आरक्षित निधियां तथा जमा सम्मिलित है।

6.3. गारन्टियां

सीधे कर्जे उगाहे जाने के अतिरिक्त, राज्य सरकार सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा बाजार तथा वित्तीय संस्थाओं से विभिन्न आयोजनागत योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उगाहे गये कर्जों के लिये गारन्टी भी देती है। ये गारन्टियां राज्य के बजट के बाहर प्रायोजित की जाती है। सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी समितियों, इत्यादि द्वारा लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान (मूल तथा इस पर ब्याज का भुगतान) के लिये राज्य सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:–

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अंत में	गारन्टी की अधिकतम राशि (मूलधन मात्र)	वर्ष के अंत में बकाया मूलधन
2009-10	63,621	39,068
2010-11	88,112	50,691
2011-12	97,566	60,711
2012-13	1,13,340	75,546
2013-14	1,40,526	85,911

टिप्पणी: विस्तृत विवरण वित्त लेखे के विवरण संख्या 9 में उपलब्ध है तथा ये राज्य सरकार तथा जहां उपलब्ध हुई, संबंधित संस्थाओं, से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है।

गारन्टी फीस 0.01 प्रतिशत से 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर संगणित की जाती है। 2013–14 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 421 करोड़ गारन्टी मोचन निधि में स्थानान्तरित किये तथा ₹ 1,060 करोड़ के कुल शेष में से ₹ 637 करोड़ निवेशित किये गये।

अध्याय – 7

अन्य मदें

7.1. राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जे तथा अग्रिम

वर्ष 2013–14 के अंत में राज्य सरकार द्वारा दिये गये कुल कर्जे तथा अग्रिम ₹ 5,004 करोड़ थे। 2013–14 के दौरान ₹ 316 करोड़ कर्जे तथा अग्रिम के पुनर्भुगतान बाबत प्राप्त हुए, जिसमें से ₹ 250 करोड़ राजस्थान चिकित्सा सेवाऐं निगम (₹ 17 करोड़) राजस्थान पेंशनर्स चिकित्सा निधि (₹ 35 करोड़), राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड (₹ 24 करोड़), कृषि विश्वविद्यालय (₹ 26 करोड़), सहकारिता (₹ 91 करोड़) तथा विद्युत परियोजना (₹ 57 करोड़) के पुनर्भुगतान से संबंधित है। बकाया ऋणों की वसूली के लिये प्रभावी कदम सरकार की राजकोषीय स्थिति के लिये मददगार होगें।

7.2. रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2013 को	31 मार्च 2014 को	निवल वृद्धि (+)/कमी (-)
रोकड़ शेष	(-) 43	6	(+) 49
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के कोषालय बिल)	12,128	8,998	(-) 3,130
अन्य रोकड़ शेष	5	5	..
(क) विभागीय शेष	1	1	..
(ख) स्थायी रोकड़ अग्रदाय	4	4	..
आरक्षित निधियों के शेष से निवेश	797	1,438	(+) 641
(क) गारन्टी मोचन निधि	349	637	(+) 288
(ख) अन्य निधियां	448	801	(+) 353
ब्याज प्राप्तियां *	899	934	(+) 35

* इसमें गारण्टी मोचन निधि में से किये गये निवेश पर ब्याज सम्मिलित है।

2013–14 के अन्त में राज्य सरकार का अन्तिम रोकड़ शेष धनात्मक था।

7.3. स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता

गत पाँच वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों आदि को दी गई सहायतार्थ अनुदान वर्ष 2009–10 में ₹ 8,135 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 18,763 करोड़ हो गयी। जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा नगर पालिकाओं को दी गई अनुदान (₹ 11,277 करोड़) वर्ष के दौरान दी गई कुल अनुदान का 60 प्रतिशत है।

गत पाँच वर्षों में जारी की गयी सहायतार्थ अनुदान का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषद	नगर पालिकाएं तथा नगर निगमों	ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियां	अन्य	योग
2009-10	678	1,052	3,342	3,063	**8,135**
2010-11	621	1,130	3,744	4,721	**10,216**
2011-12	1,116	1,340	5,102	4,779	**12,337**
2012-13	1,280	2,255	6,395	6,288	**16,218**
2013-14	2,118	2,324	6,835	7,486	**18,763**

7.4. लेखों का अंक मिलान

लेखों की सटीकता तथा विश्वसनीयता, अन्य बातों के बीच, विभाग के उपलब्ध आंकड़ों तथा प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.) द्वारा संकलित लेखों में प्रदर्शित आंकड़ों के समय पर अंकमिलान पर निर्भर करती है। यह कार्य संबंधित विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारियों द्वारा कराया जाता है। वर्ष 2013–14 के दौरान सभी 404 नियंत्रण अधिकारियों ने कुल व्यय राशि ₹ 94,101 करोड़ (निवल) का अंकमिलान किया । इसी प्रकार 132 नियंत्रण अधिकारियों में से 130 ने 99.89 प्रतिशत तक सरकारी प्राप्तियों का अंक मिलान किया अर्थात् वर्ष 2013–14 के लिये कुल प्राप्ति ₹ 74,481 करोड़ के विरूद्ध ₹ 74,398 करोड़।

विवरण	कुल नियंत्रक अधिकारी	अंकमिलान	अंक मिलान नहीं
व्यय	404	404	..
प्राप्तियां	132	130	2
योग	536	534	2

7.5. व्यय की प्रचुरता

वित्तीय नियम अपेक्षा करते हैं कि वित्तीय वर्ष के दौरान विशेषतया अंतिम माह में व्यय की प्रचुरता को वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जायेगा तथा इससे बचा जाना चाहिये। यद्यपि, कुछ चयनित लेखा शीर्षों के अन्तर्गत मार्च 2014 में वर्ष के दौरान कुल व्यय का 56.98 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच व्यय हुआ है जो कि वित्तीय वर्ष के अंत में बजट का उपयोग किये जाने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

वर्ष 2013–14 के चार त्रैमासिक के दौरान व्यय का प्रवाह उक्त दर्शाये शीर्षों में निम्नलिखित था :–

लेखा शीर्ष	विवरण	प्रथम त्रैमासिक	द्वितीय त्रैमासिक	तृतीय त्रैमासिक	चतुर्थ त्रैमासिक	योग	मार्च के दौरान	2013–14 के कुल व्यय के संदर्भ में मार्च 2014 का प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)						
2075	विविध सामान्य सेवाएं	0.25	0.47	0.37	421.89	422.98	421.71	99.70
2425	सहकारिता	19.13	14.30	29.88	387.71	451.02	374.20	82.97
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	..	(-) 1.94	..	30.49	28.55	27.24	95.41
2875	अन्य उद्योग	..	..	..	2.00	2.00	2.00	100.00
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.97	1.86	1.05	11.45	15.33	10.45	68.17
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	0.01	0.02	0.01	248.65	248.69	248.08	99.75
4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.07	1.40	1.47	1.40	95.24
4236	पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	43.67	43.67	43.67	100.00
4860	उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	43.00	100.00
5425	अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.01	1.23	1.24	0.73	58.87
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2.01	12.01	2.75	28.07	44.84	25.55	56.98

7.6. कोषालयों द्वारा लेखों की प्रस्तुति

कोषालयों द्वारा भेजे जाने वाले प्रारम्भिक लेखों की स्थिति संतोषजनक है। फिर भी, लोक निर्माण कार्य तथा वन विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले लेखों की स्थिति में सुधार होना आवश्यक है।

7.7. सारांशीकृत आकस्मिक (एसी) बिल तथा विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल

जब अग्रिम धन की आवश्यकता होती है या आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) सही राशि की आवश्यकता की गणना करने में समर्थ नही होने पर वे बिना समर्थित वाउचरों के सारांशीकृत आकस्मिक (एसी) बिलों के माध्यम से राशि आहरित करने के लिए अनुमत्य है। ऐसे एसी बिलों को अधिकतम 90 दिनों में विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिलों के प्रस्तुतीकरण से समाशोधित करना होता है। 31 मार्च 2014 को वास्तव में ₹ 324 करोड़ के कुल 1,082 डीसी बिल बकाया थे। इसमें एक साल से अधिक, राशि ₹ 34 करोड़ के 216 डीसी बिल सम्मिलित हैं।

7.8. अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों के लेखे पर वचनबद्धता

राज्य सरकार द्वारा दस करोड़ रुपये से अधिक लागत के विभिन्न अपूर्ण परियोजनाएं, जो जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, जन–स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधीन है, पर वर्ष 2013–14 तक कुल ₹ 8,393.37 करोड़ का व्यय किया गया।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान
जनपथ, जयपुर-302005

agaerajasthan@cag.gov.in

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर